

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उओप्रओ लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 12 अक्टूबर 2017

विषय:- मथुरा-वृंदावन-मांट-नोहड़ील मार्ग (एममडीआर-123) के चैनेज 30.882 के दायी ओर ग्राम सुरीरकलां बांगर के खसरा सं0-1025 खाता सं0-627 में एच0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.049172 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में ।

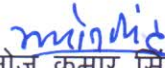
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-851/मथुरा /23090/2016, दिनांक 22-09-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मथुरा-वृंदावन-मांट-नोहड़ील मार्ग (एममडीआर-123) के चैनेज 30.882 के दायी ओर ग्राम सुरीरकलां बांगर के खसरा सं0-1025 खाता सं0-627 में एच0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.049172 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति विषयक प्रस्ताव में उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो गयी है।

कृपया तदनुसार संशोधित प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


(मनोज कुमार सिंह)

अनुसचिव।